(254)

I/1282460/2026

संख्या-319/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, सोनभद्र एवं बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 28-03-2026

विषयः- जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक हेतु रू0 2,54,473/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या-1 673/08-आ0वि0/का0अनु0/2025-26 दिनांक 28 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेनसी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एकाउनटेन्ट के पारिश्रमिक हेतु उपलब्ध कराये गये विवरणानुसार कुल **रू0 2,54,473/- (रू0 दो लाख चौवन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 में प्राप्त अनुमोदन शासनादेश सं0- 741/एक-दस-2025 दिनांक 15.07.2025 एवं पत्र सं0-784/एक-10-2025 दिनांक 21.07.2025 के क्रम में जिला स्तरीय इमरजेनसी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक हेतु **रू0 2,54,473/- (रू0 दो लाख चौवन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्न विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र०	जनपद	पदनाम	योगदान आख्या की तिथि	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बहराइच	लेखाकार (पारिश्रमिक- रू० 25,000/-)	29-12-2025	1,35,873/-
		कम्प्यूटर आपरेटर (पारिश्रमिक- रू० 22,000/-)	23-01-2026	
2	सोनभद्र	कम्प्यूटर आपरेटर (पारिश्रमिक-रू० 22,000/-)	24-12-2025	71,667/-
3	बुलन्दशहर	कम्प्यूटर आपरेटर (पारिश्रमिक- रू० 22,000/-)	27-01-2026	46,933/-
			कुल योग	**2,54,473/-**
				(रू0 दो लाख चौवन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

(1) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश के अनुरूप कार्य कराया जाये और संबंधित कार्मिक की उपस्थिति एवं कार्यों का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाये तथा शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यदि शिथिलता बरती जाती है, तो इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(2) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(3) जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के संचालन हेतु जनपद में तैनात लेखाकार एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पारिश्रमिक हेतु धनराशि का आहरण प्रत्येक माह ही किया जाय।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर- 359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) वित्तीय स्वीकृति विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013- रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाईन दिनांक 12.01.2022 एवं 22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 2,54,473/- (रू0 दो लाख चौवन हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 28-03-2026
17:16:26

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या- 319(1)एक-10-2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ आडिट प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ ।

5- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुतक्त, उ0प्र0 ।

8- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUSHIL KUMAR
Date: 28-03-2026
17:19:55

(सुशील कुमार)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-29/03/2026

प्रेषण संख्या:- 319
आवंटन आदेश संख्या:- 001-319
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	46933 509433	46933 509433
2	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	135873 809815	135873 809815
3	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	71667 401667	71667 401667
	योग	वर्तमान प्रगामी	254473 1720915	254473 1720915

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख चौवन हजार चार सौ तिहत्तर
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह लाख बीस हजार नौ सौ पन्द्रह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी